



2026:AHC:124391

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 13974 सन् 2026

इफ्तिखार खान

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार राय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह आवेदन अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, अमरोहा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 435 सन् 2015, जो मुकदमा अपराध संख्या 332 सन् 2015, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा, धारा 302, 120-बी, 201 भा.द.सं. से उद्भूत है, में पारित दिनांक 25.03.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिरक्षा साक्ष्य के प्रक्रम पर धारा 91 दं.प्र.सं. / 94 बी.एन.एस.एस. के अधीन आवेदन पर विचार को स्थगित कर दिया है।
3. दिनांक 07.04.2026 के आदेश द्वारा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को मामले में निर्देश प्राप्त करने हेतु 10 दिन का समय प्रदान किया गया था।
4. लगभग दो माह व्यतीत हो चुके हैं, किन्तु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः न्यायालय मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने हेतु आगे बढ़ता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि मामला एक अज्ञात शव की पहचान से संबंधित है तथा आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि विवेचना के दौरान, मृतक के परिवारजनों ने स्वयं डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अनुरोध किया था तथा विवेचक ने न तो विचारण न्यायालय के समक्ष डी.एन.ए. परीक्षण आख्या प्रस्तुत की है और न ही यह स्पष्ट किया है कि डी.एन.ए. परीक्षण कराया गया था या नहीं। अतः यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में, समस्त परिस्थितियों को इंगित करते हुए तथा विवेचक/सक्षम प्राधिकारी को डी.एन.ए. आख्या तथा एफ.एस.एल. आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना करते हुए, और यदि उक्त रिपोर्टें तैयार नहीं की गई हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को परीक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी करने की प्रार्थना करते हुए, दिनांक 25.03.2026 का एक विस्तृत आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

6. विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त आवेदन पर विचार को स्थगित करना अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अस्वीकृति के समान है और अतः आदेश को अपास्त किया जाए।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने की गई प्रार्थनाओं का प्रबल विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि धारा 91-ए दं.प्र.सं. के अधीन शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन है और, वर्तमान में, आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया गया है, अतः वर्तमान आवेदन असामयिक है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदन में की गई प्रार्थनाओं पर अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन कथन अभिलिखित होने के पश्चात विचार किया जा सकता है और चूँकि विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदन पर विचार को उस प्रक्रम हेतु स्थगित किया है, अतः कोई अवैधानिकता कारित नहीं हुई है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का खण्डन करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया है:-

(i). ओम प्रकाश शर्मा बनाम सी.बी.आई., दिल्ली, (2000) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 679;

(ii). रिकू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य, अन्तर्गत धारा 482 आवेदन संख्या 3473 सन् 2023, दिनांक 29.03.2023 को विनिश्चित; तथा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii). शैलेन्द्र गुप्ता उर्फ शैलू उर्फ शैलेन्द्र कुमार, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 5290/2022, दिनांक 21.02.2023 को विनिश्चित।

9. उपरोक्त निर्णयों/निर्णयों का उल्लेख करते हुए, यह निवेदन किया गया है कि राज्य की ओर से उठाए गए समान तर्कों पर न केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, अपितु इस न्यायालय द्वारा भी गहनता से विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 91 दं.प्र.सं. / 94 बी.एन.एस.एस. के अधीन आवेदन पर विचार का प्रक्रम अप्रासंगिक है तथा प्रक्रम पर ध्यान दिए बिना उस पर विचार करना न्यायालय के विवेकाधिकार में है।

10. मैंने की गई दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई विधिक दलीलों का मूल्यांकन करने से पूर्व, धारा 91 दं.प्र.सं. / 94 बी.एन.एस.एस. को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:

"दं.प्र.सं. की धारा 91 - दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए समन:- (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी विवेचना, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष हो, किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय समन जारी कर सकेगा, या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश जारी कर सकेगा, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या वस्तु होने का विश्वास किया जाता है, यह अपेक्षा करते हुए कि वह समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे।

(2) इस धारा के अधीन केवल किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, यदि वह स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के बजाय ऐसे दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करा देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अध्यपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124, या बैंककारों की बहीपुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।"

12. ओम प्रकाश शर्मा (उपर्युक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"6. धारा 91 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ समर्थ करने वाली प्रकृति की हैं, जिनका उद्देश्य न्यायालय या संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता के अधीन किसी विवेचना, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए 'आवश्यक या वांछनीय' किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, ऐसी सामग्री रखने वाले व्यक्तियों को समन या लिखित आदेश जारी करके, प्रवर्तित एवं सुनिश्चित करने हेतु सशक्त बनाना है। धारा 91 की भाषा निःसंदेह शक्तियों की व्यापकता को असीमित दर्शाती है, किन्तु इसमें अंतर्निहित सीमा कार्यवाहियों की प्रकृति के साथ-साथ कार्य पूर्ण करने या उद्देश्य प्राप्त करने की आवश्यकता एवं वांछनीयता की बाध्यताओं के अनुरूप, उसके प्रयोग के प्रक्रम या समय-बिन्दु से अपना रंग-रूप ग्रहण करती है। विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के वर्तमान प्रक्रम पर प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध अगले प्रक्रम पर बढ़ने हेतु पर्याप्त आधार है। यदि अभियुक्त उस प्रक्रम पर भी कोई विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत कर सके, जो मामले की सुसंगतता को ही पूर्णतः प्रभावित कर सकती हो, तो प्रस्तुत की गई सामग्री को देखने से भी इंकार करना अन्याय का परिणाम दे सकता है, इसके अतिरिक्त बहुमूल्य न्यायिक/लोक समय की कीमत पर एक निष्फल प्रयास से बचना भी उद्देश्य होगा। यह सुस्थापित विधि है कि अंतिम प्रक्रम पर सामान्यतः अपेक्षित प्रमाण का मानक उस प्रक्रम पर आग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ विचार केवल प्रथमदृष्ट्या मामला ज्ञात करने तथा यह विनिश्चित करने तक सीमित हो कि क्या आरोप विरचित कर अभियुक्त को विचारण हेतु खड़ा करने के अगले प्रक्रम पर बढ़ना आवश्यक है। इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल के माध्यम से पहले ही यह सावधान किया है कि साक्ष्य को तौलकर या सामग्री एकत्र करके मामले के गुण-दोष की व्यापक जाँच नहीं की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जानी चाहिए, मानो विचारण के दौरान या पश्चात हो। अंततः, यह सदैव प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक अनुप्रयोग का नियम बनाना कठिन होगा। यह तथ्य कि एक मामले में न्यायालय ने ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझा, यह उसके समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में स्वतः तथा मात्र माँगे जाने पर ऐसा करने की बाध्यकारी परिस्थिति नहीं है। संबंधित न्यायालय को विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में पर्याप्त छूट दी जानी चाहिए और जब तक किसी दिए गए मामले में न्यायालय द्वारा स्वयं को इतने प्रदर्शनात्मक रूप से अनुचित ढंग से, जो न्यायिक प्राधिकारी के अनुरूप न हो, आचरित पाया न जाए, उस न्यायालय से उच्चतर न्यायालय उस प्रक्रम पर भी हल्के ढंग से या नियमित रूप से हस्तक्षेप या स्वयं को आरोपित नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि उस प्रक्रम पर, प्रश्न न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग में निहित मात्र औचित्यों का है, न कि अभियुक्त के पक्ष में सुदृढ़ किए गए किसी अधिकार का।"

13. उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत, यह स्पष्टतः प्रकट है कि आवेदन पर विचार करने का विवेकाधिकार विशेष मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा इसका उस प्रक्रम से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है जिस पर उक्त उपबंध के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

14. वर्तमान मामले में, डी.एन.ए. परीक्षण का पहलू तथा उसकी आवश्यकता, साथ ही उक्त परीक्षण का कराया जाना/न कराया जाना अथवा उसकी आख्या का अभिलेख पर होना/न होना, मामले में अंतर्ग्रस्त वास्तविक विवाद से सुसंगत प्रतीत होता है और अतः यह न्यायालय इस मत का है कि केवल इस कारण कि पी.डब्ल्यू.-7 का कथन अभिलिखित होने के पश्चात शेष अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु मामला आगे बढ़ रहा है, यह स्वयं में दिनांक 25.3.2026 के आवेदन पर विचार को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। अभियुक्त का निष्पक्ष विचारण आपराधिक विचारणों का एक सुसंगत सिद्धांत होने के नाते, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय-दृष्टांतों में तथा ओम प्रकाश शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में धारा 91 दं.प्र.सं. / 94 बी.एन.एस.एस. के अधीन शक्ति के प्रयोग के संबंध में भी विवेचित किया गया है, न्यायालय आक्षेपित आदेश को अपास्त करने तथा समुचित निर्देश जारी करने हेतु प्रवृत्त है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. चूँकि विपक्षी सं. 2 तथा 3 निजी पक्षकार हैं, न्यायालय उन्हें नोटिस जारी कर सकता था तथा कार्यवाहियों के विचारण को स्थगित करने का अंतरिम आदेश प्रदान कर सकता था, तथापि, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सत्र विचारण सन् 2018 का है, केवल किसी आवेदन पर विचार को स्थगित करने के कारण विचारण को रोकना उचित नहीं होगा और अतः, मामले के तथ्यों में, निजी विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं की जा रही है।

16. आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 25.03.2026 का आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले में आगे कार्यवाही करने से पूर्व, सर्वप्रथम धारा 91 दं.प्र.सं. / 94 बी.एन.एस.एस. के अधीन दिनांक 25.3.2026 के आवेदन को ग्रहण करे तथा अभियोजन को अवसर प्रदान करने के पश्चात, इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, इसे विधि के अनुसार सख्ती से विनिश्चित करे।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने धारा 91 दं.प्र.सं. / 94 बी.एन.एस.एस. के अधीन आवेदन के गुण-दोष के संबंध में कोई अवलोकन नहीं किया है तथा हस्तक्षेप केवल एवं केवल इस कारण किया गया है कि उस पर विचार को स्थगित किया गया है, जो उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

19. विद्वान विचारण न्यायालय आवेदन के गुण-दोष पर अपने स्वविवेक से विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।

जून 1, 2026

ए.एन.मिश्रा

(माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।